

वोटर आईडी नहीं है? फरि भी डाल सकते हैं वोट, जानें 11 आसान तरीके!

वर्षिय सूची (Table of Contents):

- >> प्रस्तावना मतदान का अधिकार और चुनाव का माहौल...
- >> 1. बनिा वोटर आईडी कार्ड के वोट कैसे डालें चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण नयिम...
 - >> मतदाताओं को मली बडी राहत...
 - >> 2. मतदान की सबसे जरूरी शर्त वोटर लसिट में आपका नाम होना है अनविर्य...
 - >> अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें (Check Status)...
 - >> 3. वोटर कार्ड न होने पर घबराएं नहीं, काम आएंगे ये 11 वैकल्पिकि दस्तावेज...
 - >> चुनाव आयोग की आधिकारिकि लसिट (2026 Update)...
 - >> 4. पैन कार्ड, पासपोर्ट और इराइवगि लाइसेंस का इस्तेमाल कर कैसे करें मतदान?...
 - >> पैन और आधार कार्ड का उपयोग...
 - >> 5. बैंक पासबुक, पेशन दस्तावेज और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से जुड़े अहम नयिम...
 - >> पेशनर्स और कामगारों के लिए सुवधिया...
 - >> 6. सरकारी कर्मचारियों, पीएसयू (PSU) और मनरेगा शर्मिकों के लिए मान्य आईडी प्रूफ...
 - >> पब्लिकि सेक्टर और मनरेगा जॉब कार्ड (Latest List)...
 - >> 7. पोलगि बूथ पर जाने से पहले इन खास बातों का रखें ध्यान...
 - >> मोबाइल की फोटो नहीं होगी मान्य...
 - >> नषिकर्ष...
 - >> आपके सवाल, हमारे जवाब...

प्रस्तावना: मतदान का अधिकार और चुनाव का माहौल

भारत के कई राज्यों जैसे असम, केरल और पुदुचेरी में वधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान हो रहा है। इसके साथ ही गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में उपचुनाव की प्रक्रिया भी जोरों पर है।

इस चुनावी माहौल में (latest update) कई मतदाताओं को एक आम परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका नाम वोटर लसिट (voter list PDF) में तो शामिल होता है, लेकिन मतदान के दिन उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं मलि पाता।

क्या आप भी इसी दुवधिया में हैं? अगर हाँ, तो आपको घबराने की बलिकुल भी आवश्यकता नहीं है। भारत नरिवाचन आयोग ने मतदाताओं की सुवधिया को ध्यान में रखते हुए कई आसान नयिम लागू कएि हैं।

अब आप अपना वोटर कार्ड खो जाने या पास न होने पर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में वसितार से

जानते हैं कि कनि अन्य दस्तावेजों से वोट डाला जा सकता है।

1. बनि वटर आईडी कार्ड के वोट कैसे डालें: चुनाव आयोग के महत

चुनाव आयोग (Election Commission of India) का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। इसी कारण से मतदान केंद्रों पर लचीले नियम अपनाए जाते हैं।

मतदाताओं को मली बड़ी रहत

निर्वाचन आयोग ने साफ कया है कि वोट देने के लिए वटर आईडी (EPIC) ही एकमात्र पहचान पत्र नहीं है। यदि आपके पास यह कार्ड नहीं है, तो भी आपका वोट सुरक्षित है।

आयोग ने कुछ विशेष वैकल्पिक दस्तावेजों को मतदान के लिए वैध घोषित कया है। आप पोलिंग बूथ पर जाकर इन सरकारी दस्तावेजों को दिखाकर आसानी से अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।

2. मतदान की सबसे जरूरी शर्त: वटर लसिट में आपका नाम होना है

बनि वटर आईडी के वोट डालने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में मौजूद होना चाहिए। बनि इसके कोई भी विकल्प काम नहीं करेगा।

अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें (Check Status)

आप भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम खोज सकते हैं। वहां से आप अपने वार्ड या मतदान केंद्र की voter list PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

अगर आपने नए कार्ड के लिए अप्लाई कया है (apply online), तो चुनाव से पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। लसिट में नाम पक्का होने के बाद ही आप वैकल्पिक पहचान पत्र का लाभ उठा सकेंगे।

3. वटर कार्ड न होने पर घबराएं नहीं, काम आएंगे ये 11 वैकल्पिक

यदि आपका नाम ऑनलाइन लसिट में शो कर रहा है, तो आप बिना किसी परेशानी के वोट दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी नई गाइडलाइन में कुल 11 तरह के दस्तावेजों को मान्यता दी है।

चुनाव आयोग की आधिकारिक लसिट (2026 Update)

इन 11 दस्तावेजों में आपके रोजमर्रा के कई सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं। मतदान केंद्र पर आपको इनमें से किसी भी एक ओरजिनल डॉक्यूमेंट को साथ ले जाना होगा।

- >> पासपोर्ट, ड्राइवगि लाइसेंस और आधार कार्ड
- >> पैन कार्ड, बैंक पोस्ट ऑफिस की पासबुक
- >> मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और पेंशन दस्तावेज
- >> एनपीआर (NPR) स्मार्ट कार्ड और अन्य सरकारी आईडी

यह भी पढ़ें: इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 का ट्रेलर आया, रणदीप ने कर दिया ऐसा टकराव! जानें कब देखेंगी

4. पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइवगि लाइसेंस का इस्तेमाल कर क

पासपोर्ट और ड्राइवगि लाइसेंस को सबसे प्रामाणिक पहचान प्रमाण माना जाता है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो ये दोनों दस्तावेज आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।

पैन और आधार कार्ड का उपयोग

इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड भी पोलगि बूथ पर आपकी पहचान साबित करने के लिए मान्य है। इसी तरह UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड का इस्तेमाल भी घड़ल्ले से होता है।

अगर आपके आधार या पैन में पता गलत है, तो इसे अपडेट करना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया के लिए यहां क्लिक करें: नए घर में शफिटिंग? 2 मिनट में ऐसे बदलें आधार और पैन का पता!

5. बैंक पासबुक, पेंशन दस्तावेज और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड से

अगर आपके पास पैन या पासपोर्ट नहीं है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक सबसे आसान विकल्प है। हालांकि, ध्यान रहे कि इस पासबुक पर आपकी नवीनतम फोटो लगी होनी चाहिए।

पेंशनर्स और कामगारों के लिए सुवधि

बुजुर्ग और रटियर्ड मतदाता अपने पेंशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि इस कार्ड पर आपकी साफ तस्वीर होनी चाहिए और यह अधिकारी द्वारा अटेस्टेड (Attested) हो।

इसके अलावा, श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड भी एक वैध दस्तावेज है, जिसका उपयोग असंगठित क्षेत्र के कामगार कर सकते हैं।

6. सरकारी कर्मचारियों, पीएसयू (PSU) और मनरेगा श्रमिकों के लिए

यदि आप सेंटरल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो आपको विशेष छूट मिलती है। आपके सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त आईडी कार्ड मतदान के लिए पूरी तरह स्वीकार्य है।

पब्लिक सेक्टर और मनरेगा जॉब कार्ड (Latest List)

यही नियम पीएसयू (PSUs) और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इसके अलावा ग्रामीण भारत में मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और सांसदों वधायकों (MPs MLAs) की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र दिखाकर भी आप अपना कीमती वोट डाल सकते हैं।

परीक्षा से जुड़ी अहम खबर: UP SI Exam 2026: 2 घंटे पहले जाना होगा सेंटर! आधार नंबर पर आया बड़ा अपडेट

7. पोलिंग बूथ पर जाने से पहले इन खास बातों का रखें ध्यान

घर से पोलिंग बूथ के लिए निकलने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि आपने जो भी पहचान पत्र उठाया है, वह ओरिजिनल (Original) कॉपी हो। चुनाव आयोग फोटोकॉपी को मान्य नहीं करता है।

मोबाइल की फोटो नहीं होगी मान्य

कई लोग अपने स्मार्टफोन में आधार या पैन की फोटो दिखाकर वोट डालने की कोशिश करते हैं। पीठासीन अधिकारी ऐसे डिजिटल फोटो या

डिजिटलॉकर को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं।

सुनिश्चित करें कि आपके वैकल्पिक पहचान पत्र में दर्ज नाम और वोटर लसिट में दर्ज नाम मेल खाते हों। छोटी-मोटी स्पेलिंग मसिटेक होने पर अधिकारियों द्वारा थोड़ी छूट दी जा सकती है।

नबिक्ष

मतदान करना हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड न होने की वजह से आपको इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जा सकता है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुझाये गए ये 11 वैकल्पिक दस्तावेज प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और आसान बनाते हैं। आपको बस अपना नाम वोटर लसिट में सुनिश्चित करना है।

इसलिए, अगली बार जब भी चुनाव हों, तो इनमें से कोई एक वैध दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएं। जागरूक बनें, अपना स्टेटस चेक करें और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

आपके सवाल, हमारे जवाब

हां, बलिकूल संभव है। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी के अलावा 11 अन्य दस्तावेजों को मतदान के लिए वैध माना है।

सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपका नाम मतदाता सूची (Voter List) में दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम लसिट में नहीं है, तो आप कोई भी दस्तावेज दिखाकर वोट नहीं डाल सकते।

जी हां, आधार कार्ड चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उन 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल है, जिनका उपयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं।

हां, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक मान्य है, लेकिन उस पर आपकी स्पष्ट और नवीनतम फोटो लगी होनी चाहिए।

नहीं, पोलिंग बूथ पर आपको अपनी पहचान साबति करने के लिए दस्तावेजों की ओरजिनिल (Original) हार्ड कॉपी ही दिखानी होगी।

आप भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट (voters.eci.gov.in) पर जाकर अपना ईपीआईसी नंबर या व्यक्तिगत विवरण दर्ज करके अपना नाम चेक कर सकते हैं।

हां, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड मतदान के लिए एक पूरी तरह से मान्य पहचान पत्र है।

केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू (PSUs) और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी अपने विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।

आप अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाकर अपने विधानसभा क्षेत्र का चयन करके इलेक्टोरल रोल (Electoral Roll) की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

नहीं, चुनाव आयोग द्वारा जारी 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में राशन कार्ड शामिल नहीं है। आपको पैन, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई अन्य कार्ड ले जाना होगा।

बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) मतदान के लिए एक मजबूत और वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र माना जाता है।

अगर पहचान पत्र और वोटर लिस्ट के नाम में मामूली स्पेलिंग मिसटिक है, तो पीठासीन अधिकारी आमतौर पर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, बशर्ते आपकी पहचान सही साबित हो रही हो।